R.M.M. Law College   Date - 11.5.2020
Saharsa

Amrendra Kumar Trivedi
Part-Time Law Teacher

Subject - Evidence Act
Part III

कानूनी उपधारणा तथा तथ्यों की विवेचना तथा तथ्यों की उपधारणा

सामान्यतया किसी भी तथ्य को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाता है। परन्तु कुछ ऐसे तथ्य भी है जो बिना साक्ष्य की उपधारणा (presumption) के आधार पर प्रमाणित मान लिया जाता है। उपधारणा किसी तथ्य के अस्तित्व का एक ऐसा निष्कर्ष या अनुमान माना जाता है जो पहले ही साबित होता है और वर्तमान में भी साबित मान लिया जाता है। उपधारणाएं प्रकृति की सामान्य क्रम के मान लिया जाता है जैसे रात्रि दिन के बाद होगी, जाड़े के बाद गर्मी आएगा। उपधारणा तथ्य पर प्राकृतिक भी हो सकती है। ऐसा निष्कर्ष जो न्यायालयों के द्वारा तर्क के आधार पर निकाला जाता है और सन्तोष और विश्वास के आधार पर जाता है जो न्यायालय द्वारा साबित हो सकता है। जो सिद्ध हो जाते। उपधारणा एक कृत्रिम उपधारणा भी हो सकती है जो कानूनी और तथ्यात्मक हो सकती है। किसी ज्ञात तथ्य को निकालने अनुमान होती है। कानून के लिये न्यायधीश को निर्देश करता है। कानून के आज्ञात्मक निर्देश के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए न्यायधीश उनके अनुसार निर्णय देने को बाध्य होते हैं। कुछ खण्डनीय उपधारणा भी होती है जिसे (Rebutible presumption) खण्डनीय उपधारणा कहते हैं। जो साक्ष्यों द्वारा खण्डनीय भी किया जा सकता है।

तथ्यों की उपधारणाएं - (Presumption of Fact)

तथ्यों की उपधारणा कल्पना है जो एक तथ्य की साबित होने पर की जाती है।

दूसरे शब्दों में तथ्यों की उपधारणा विधितथ्य की

अधिनियम के तार्किक एवं विचारात्मक अनुमान माना जाता है। ये बिना किसी कानूनी नियम निकाले जाते हैं। जो केवल तार्किक निष्कर्ष माना जाता है, और मानव कार्यकलाप की रचना मानी जाती है। मानव कार्यों के अलावा और समाज की आदत तथा प्रथा पर आधारित है। ऐसी उपधारणा खण्डनीय खण्डनीय होती है और कोई व्यक्ति लगातार सात वर्षों तक गायब हो जाता है तथा किसी ने उसे देखा नहीं तो वैसी स्थिति में विधि की उपधारणा होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। परन्तु सात वर्षों के भीतर अगर मृत्यु साबित करनी होगी इसके लिए तथ्य की आवश्यकता होगी कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई या नहीं।